प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 278 / 2023

अनवान : –

1. जीतो पत्नी गुलजार जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सोमा बाई पत्नी राजकुमार जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक:** 2/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 152 / 91 के प0न0 329 / 409 (41) के किला न0 25 / 2 की 0.0260 हैक्ट नहरी भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 179 / 91 के प0न0 327 / 413 (59) के किला न0 1 / 4 की 0.0340 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीया एवं प्रतिवादीया स0 1 के मुताबिक समझौता दिनांक 26.04.2023 के अनुसार रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 179 / 91 के प0न0 327 / 413 (59) के किला न0 1 / 4 की 0.0340 हैक्ट भूमि पर वादीया काबिज है तथा रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 152 / 91 के प0न0 329 / 409 (41) के किला न0 25 / 2 की 0.0260 हैक्ट पर प्रतिवादीया स0 1 काबिज है। वादीया इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 का इकबाल / [illegible] सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 152/91 के प0न0 329/409 (41) के किला न0 25/2 की 0.0260 हैक्ट नहरी भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 179/91 के प0न0 327/413 (59) के प्रतिवादीया स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीया स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादीया की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 152/91 के प0न0 329/409 (41) के किला न0 25/2 की 0.0260 हैक्ट नहरी भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीया की बजाय प्रतिवादीया स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 179/91 के प0न0 327/413 (59) के किला न0 1/4 की 0.0340 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादीया स0 1 की बजाय वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 2/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जसाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 278/2023
अनवान : –

1. जीतो पत्नी गुलजार जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सोमा बाई पत्नी राजकुमार जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 278 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 152/91 के प0न0 329/409 (41) के किला न0 25/2 की 0.0260 हैक्ट नहरी भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीया की बजाय प्रतिवादीया स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 20 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के खाता स0 179/91 के प0न0 327/413 (59) के किला न0 1/4 की 0.0340 हैक्ट नहरी भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादीया स0 1 की बजाय वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जसाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:17 IST
Reason: SelfAttested